संख्या-९७/2016/2068/52-1-2016-30(एम०एस०डी०पी०)/16 टी.सी.-I

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 22 नवम्बर, 2016

विषय- मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत में स्वीकृत 11 प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु अतिरिक्त लागतवृद्धि की धनराशि की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पीलीभीत में स्वीकृत 11 प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु रू० 9.29 लाख प्रति इकाई लागत की दर से कुल धनराशि रू0 102.19 लाख कार्यदायी संस्था–**कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को 02 किश्तों में अवमुक्त किये गये थे। मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 27.05.2016 को सम्पन्न बैठक में लागतवृद्धि की धनराशि राज्यांश के रूप में वहन करने हेतु निर्णय लिया गया है।

2- प्रश्नगत 11 प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा लागत वृद्धि हेतु निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसके सम्बन्ध में निदेशालय स्तर पर गठित तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 19.01.2015 में अनुमोंदन प्रदान किया गया। उक्त पुनरीक्षित आगणन को प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा संस्तुत रू0 123.72 लाख को अनुमोदित किया गया। अत: उक्त परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 123.72 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अवशेष धनराशि रू० 21.23 लाख (रू० इक्कीस लाख तेईस हजार मात्र) राज्यांश के रूप में कार्यदायी संस्था-**कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित बजट रू0 2000.00 लाख तथा अनुपूरक बजट रू0 2500.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध अवशेष बजट रू0 1642.03 लाख में से स्वीकृत कर अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

http://sikasanadesh.upnic.in

(रू0 लाख में)

क्र.	जनपद	योजना	इकाई	भा0स0 द्वारा स्वीकृत लागत	पी.एफ.ए.डी. द्वारा आंकलित लागत	पूर्व में अवमुक्त (दोनों किश्ते)	वर्तमान में अवमुक्त अतिरिक्त लागत		वर्तमान में अवमुक्त कुल धनराशि
							केन्द्रांश	राज्यांश	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पीलीभीत	विभिन्न स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण	11	102.19	123.72	102.19	0.00	21.23	21.23
	योग=							**योग**	**21.23**

1- परियोजना के सम्बन्ध में नियमानुसार समस्त वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

2- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

3- पुनरीक्षित आंगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर पर पूर्व अनुमोंदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

4- जिलाधिकारी, पीलीभीत द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

5- शासनादेश संख्या-324/52-1-2013-1(142)/2009, दिनांक 26 फरवरी, 2013 तथा शासनादेश संख्या-4254/52-1-2014-1(142)/2009, दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 में निहित शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

6- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

7- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक"4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0106-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण (के0 75-रा0 25)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

http://shastradesh.up.nic.in

8- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2015-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या 2068(1)/बावन-1-2016-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक, सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0 जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत केन्द्रों के निर्माण की गुणवत्ता अपने स्तर से भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
6- निदेशक, **कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का समयान्तर्गत, मानक एवं गुणवत्ता के साथ निर्माण पूर्ण कराने का कष्ट करें।
7- जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, पीलीभीत को इस आशय से प्रेषित कि कृपया निर्मित होने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के भवन निर्माण का गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, निदेशालय, लखनऊ को इस आश्य से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
10- महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि आहरित नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
11- वित्त-ई-11 ।
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को स्वच्छ प्रति की 03 प्रतियां।
13- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज उत्तर प्रदेश को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
14- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in